संख्या- 34/2024/1000/तीस-1-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2024

विषय- जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का नवनिर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0नि0 पत्र संख्या-756बी/डीए/पूर्व /24-25जेईटी/वि0/20-21, दिनांक 21.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में रू0 1002.42 लाख का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। रू0 1002.42 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 997.53 लाख पुनरीक्षित करते हुए आकलित की गयी है।

2- जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का नवनिर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-16/2024/2203/तीस-1-2024, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा लागत रू0 785.32 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 392.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कार्यदायी संस्था नामित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में परिवहन निगम द्वारा किये गये अनुरोधानुसार जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का नवनिर्माण हेतु शासनादेश संख्या-16/2024/2203/तीस-1-2024, दिनांक 15.03.2024 द्वारा रू0 785.32 लाख पर दी गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को संशोधित करते हुए प्रश्नगत परियोजना हेतु धनराशि रू0 997.53 लाख (नौ करोड़ सत्तानवे लाख तिरेपन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) प्रशासकीय विभाग योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294 /दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) परिवहन निगम द्वारा निम्नानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रायोजन्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। परिवहन निगम द्वारा स्वयं स्तर से सुनिश्चित करेगा कि प्रायोजन्तर्गत विभिन्न कार्यो मदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

(9) प्रायोजन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- इस संबंध में शासनादेश संख्या-16/2024/2203/तीस-1-2024, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा पूर्व में निर्गत की गयी स्वीकृति की शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -9 के अशासकीय संख्या-E-9-299-X-2024-25, दिनांक 20.11.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8- वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9- नियोजन अनुभाग-4।
10- परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
12- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।